कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

न्यायालय , लोकपाल, मनरेगा, जिला–वैशाली
वाद संख्या– 10 में पारित आदेश की प्रतिलिपि
शिकायत पत्र सं. 12/13-14

दिनांक		अभियुक्ति
10.10.13	यह परिवाद श्री प्रवीण चन्द्र कुमार, निवासी, ग्राम– करिहों, पो0– विशनपुर बेझा, थाना– महुआ, जिला– वैशाली के दिनांक 06.06.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि महुआ, प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत, ताजपुर बुजुर्ग की वृक्षारोपण योजनाओं में अनेक खामियॉ मौजूद है। पौधे पंचायत में कम है। वनपोषक अपने आदमी को बनाकर मुखिया अवैध निकासी करा रहे है इत्यादि। शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र के संदर्भ में मो0 जावेद अली, सहायक अभियंता , मनरेगा को वृक्षारोपण योजनाओं की जांच कर जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।कार्य की महत्ता को देखते हुए दिनांक 11.06.13 को मेरे द्वारा उक्त पंचायत की कुछ वृक्षारोपण योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मेरे साथ पंचायत रोजगार सेवक, श्री नवीन कुमार स्थानीय मुखिया के छोटे भाई, शिकायतकर्त्ता एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। कुछ योजनाओं के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि पौधों की संख्या पर्याप्त नहीं है। अतः उक्त संबंध में पंचायत रोजगार सेवक से पूछने पर उन्होंने बताया कि वर्ष 2011–12 में शुरू की गयी सभी योजनाएँ खुली हुई है। जिसमें लगभग 95–100 दिनों का भुगतान संबंधित वनपोषकों को दिया गया है। उसके बाद पौधों की संख्या 75 प्रतिशत से कम पाये जाने पर वनपोषकों को कार्यस्थल पर नियुक्त नहीं किया गया है। उक्त संबंध में अग्रेत्तर क्रियान्यवन हेतु ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होनी शेष है। उक्त वृक्षारोपण योजनाओं की बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन मो0 जावेद अली, सहायक अभियंता, मनरेगा, हाजीपुर द्वारा दिनांक 29.06.2013 द्वारा प्राप्त की गयी। सहायक अभियंता, मनरेगा ने जाँचोंपरान्त अपने उक्त प्रतिवेदन में बताया है कि ग्राम पंचायत ताजपुर बुजुर्ग वित्तीय वर्ष 2011–12 में वृक्षारोपण योजना अगस्त माह 2011 से शुरू किया गया था। जिसमें 17.08.11 से 24.11.11 तक के मस्टर रौल पर मजदूरों की हाजिरी अंकित है। वनपोषक के रूप में संतलाल पासवान एवं सकिन्दर पासवान द्वारा कार्यस्थल पर कार्य किया जा रहा था। वे सभी कार्यस्थल पर उपस्थित पाये गये। पौधों की संख्या कम होने पर उन्हें पंचायत रोजगार सेवक ने बताया कि घोरपरास एवं स्थानीय मवेशियों द्वारा पौधों को नष्ट किये जाने पर पौधों को पुनः लगाया गया था। उसके नष्ट होने के बाद फिर पौधे नहीं लगाये गये है। परन्तु पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में सभी मृत पौधों की जगह पुनः नये पौधे को लगाने का निदेश दिया गया है। सहायक अभियंता द्वारा व्यय की गयी राशि एवं मस्टर रौल की राशि का विवरणी भी दिया गया था, परन्तु वह अपूर्ण था। इसलिए उनसे सभी विवरणी को देते हुए पुनः प्रतिवेदन को पूर्ण करने की मांग की गयी।	

एक प्रति पाया
प्रवीण चन्द्र कुमार
22.10.2013

दिनांक 20.07.13 को सहायक अभियंता द्वारा पुनः जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन में उन्होंने व्यय की राशि एवं मस्टर रॉल की राशि को योजनावार अंकित करते हुए प्रतिवेदित किया था कि 75 प्रतिशत से कम पौधे होने पर मजदूरों को वनपोषक के रूप में कार्य स्थल पर नियुक्ति नहीं किया गया था। पंचायत रोजगार सेवक ने बताया कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया गया है कि योजनाओं पर पुनः पौधे लगाये जायें तथा वनपोषक की भी नयी नियुक्ति की जाये। अतः ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के निर्देशानुसार योजनाओं पर पुनः पौधे लगा दिये गये है। जिसकी लिखित सूचना प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ को दी जा चुकी है। अगर मान्य हो तो इसकी संपुष्टि कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ से करायी जा सकती है।

अतएव दिनांक 27.07.13 को कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ से वृक्षारोपण योजनाओं की योजना सं0 01/11–12 से 23/11–12 तक पुनः रोपित पौधे का निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन से अवगत कराना सुनिश्चित करने की मांग की गयी। दिनांक 16.09.13 को कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। जाँच कार्य पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता, महुआ द्वारा तैयार किया गया था। उक्त प्रतिवेदन में प्रत्येक योजनाओं की प्राक्कलन राशि, कुल लगाये गये पौधों की संख्या एवं जीवित पौधो की संख्या के विवरण अंकित थे। योजना सं0 17/11–12 तथा 18/11–12 सड़क चौड़ीकरण करने के कारण पौधे नष्ट हो गये थे। अवलोकन के दौरान पाया गया कि सभी योजनाओं में वनपोषकों को 95 या 100 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया गया है। सभी योजनाओं को क्रियान्वित कर दिया गया है। क्रियान्वित की गयी योजनाओं में जीवित पौधों की संख्या 75 प्रतिशत अधिक थी। परन्तु योजना सं013/11–12,19/11–12,20/11–12 तथा 22/11–12 में जीवित पौधों की संख्या 75 प्रतिशत से कम थी। जबकि उन योजनाओं में वनपोषकों को मजदूरी का भुगतान किया जा चुका था। उक्त योजनाओं की मापी पुस्तिका का अवलोकन किया गया। मापी पुस्तिका में उक्त योजनाओं हेतु वनपोषकों के मद में अंतिम राशि 3888/–रू0 का भुगतान किया गया था।

उक्त राशि दिनांक 24.11.11 के बाद के उक्त तिथि से 21.12.2011तक के अवधि की थी। वृक्षारोपण की योजनाओं में 75 प्रतिशत से कम पौधों को पाये जाने के उपरान्त भुगतान नही होनी चाहिए थी।

अतः मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम ताजपुर बुजुर्ग, प्रखण्ड– महुआ, जिला– वैशाली से उक्त व्यय की गयी राशि 3888X4=15,552/-..वसूलनीय है।

इन्ही निष्कर्षो के साथ इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली, (हाजीपुर)

ज्ञापांक 1968 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 10/10/13
प्रतिलिपिः कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि योजना में लगाये गये पौधों के पोषण की जानकारी एक महीने के पश्चात् दें।
पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत, ताजपुर बुजुर्ग, प्रखण्ड– महुआ को सूचनार्थ। एवं अनुपालनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली,(हाजीपुर)

ज्ञापांक 1968 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 10/10/13
प्रतिलिपिः श्री प्रवीण कुमार / श्री विश्वबंधु कुमार, ग्राम – करिहों, पो0– विशुनपुर बेझा, प्रखण्ड– महुआ, जिला– वैशाली को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली,(हाजीपुर)

ज्ञापांक 1968 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 10/10/13
प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली,(हाजीपुर)

ज्ञापांक 1968 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 10/10/13
प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली,(हाजीपुर)

ज्ञापांक 1968 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 10/10/13
प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली,(हाजीपुर)